मध्यप्रदेश शासन
ऊर्जा विभाग
मंत्रालय

क्रमांक 1168 /एफ-3-08/2019/तेरह

भोपाल, दिनांक 13/02/1

प्रति,

1. प्रबंध संचालक,
एमपी पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड,
जबलपुर।
2. प्रबंध संचालक,
म.प्र. पूर्व/मध्य/पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड,
जबलपुर/भोपाल/इंदौर।

विषय:-"इंदिरा किसान ज्योति योजना" अंतर्गत प्रदेश के 10 हार्सपावर तक के कृषि उपभोक्ताओं द्वारा देय विद्युत बिल की राशि को आधा करने के संबंध में।

:-:

उपरोक्त विषयांतर्गत दिनांक 07 फरवरी, 2019 को राज्य शासन द्वारा लिए गए निर्णय निम्नानुसार है :-

(1) प्रदेश में निम्नदाब कृषि उपभोक्ताओं हेतु "इंदिरा किसान ज्योति योजना" प्रारंभ की जाये।

(2) योजना दिनांक 01 अप्रैल, 2019 अर्थात् आगामी बिलिंग चक्र से लागू होगी।

(3) योजना अंतर्गत प्रदेश के 10 हार्सपावर तक के स्थायी कृषि पंप कनेक्शनों को 700 रूपये प्रति हार्स पावर प्रतिवर्ष की फ्लैट दर से विद्युत प्रदाय किया जाये एवं आयोग द्वारा निर्धारित दर से अंतर की राशि राज्य शासन द्वारा वितरण कंपनी को अतिरिक्त सब्सिडी के रूप में दी जाये।

(4) उक्त योजना अंतर्गत 10 हार्सपावर तक के मीटर युक्त स्थायी कृषि पंप उपभोक्ताओं द्वारा वर्तमान में देय ऊर्जा प्रभार की दरों में 50 प्रतिशत की रियायत देते हुए निर्धारित दर से अंतर की राशि का भुगतान राज्य शासन द्वारा वितरण कंपनी को अतिरिक्त सब्सिडी के रूप में किया जाये, जिसका विवरण परिशिष्ट-1 पर दिया गया है।

(5) उक्त योजना अंतर्गत 10 हार्सपावर तक के अस्थायी कृषि पंप उपभोक्ताओं द्वारा वर्तमान में देय ऊर्जा प्रभार अर्थात् रूपये 3.84 प्रति यूनिट की दर में 50 प्रतिशत

परिशिष्ट - 1

इंदिरा किसान ज्योति योजना के अंतर्गत मीटरयुक्त निम्नदाब कृषि उपभोक्ताओं हेतु सब्सिडी (एफ.सी.ए. सहित) की जानकारी

क्र.	उपभोक्ता श्रेणी	नियामक आयोग द्वारा निर्धारित दर	विद्यमान सब्सिडी	वर्ष 2019-20 हेतु अतिरिक्त सब्सिडी उपरांत प्रभावी दर (रूपये/यूनिट)	टीप
1	2	3	4	5	6
(1)	10 हार्सपावर तक के मीटरयुक्त स्थायी कृषि उपभोक्ता				
	(i) प्रथम 300 यूनिट प्रतिमाह तक की खपत पर (मीटरयुक्त स्थायी)	4.30 + एफ.सी.ए + फिक्स्ड मासिक चार्ज रू. 35/- प्रति हार्सपावर	3.50 + एफ.सी.ए + फिक्स्ड मासिक चार्ज रू. 35/- प्रति हार्सपावर	0.80	
	(ii) 301 से 500 यूनिट प्रतिमाह तक की खपत पर (मीटरयुक्त स्थायी)	5.15 + एफ.सी.ए + फिक्स्ड मासिक चार्ज रू. 45/- प्रति हार्सपावर	4.20 + एफ.सी.ए + फिक्स्ड मासिक चार्ज रू. 45/- प्रति हार्सपावर	0.95	
	(iii) 501 से 750 यूनिट प्रतिमाह तक की खपत पर (मीटरयुक्त स्थायी)	5.15 + एफ.सी.ए + फिक्स्ड मासिक चार्ज रू. 45/- प्रति हार्सपावर	4.13 + एफ.सी.ए + फिक्स्ड मासिक चार्ज रू. 45/- प्रति हार्सपावर	1.02	
	(iv) 750 यूनिट प्रतिमाह से अधिक की खपत पर (मीटरयुक्त स्थायी)	5.45 + एफ.सी.ए + फिक्स्ड मासिक चार्ज रू. 45/- प्रति हार्सपावर	4.45 + एफ.सी.ए + फिक्स्ड मासिक चार्ज रू. 45/- प्रति हार्सपावर	1.00	

टीप:- 10 हार्सपावर से अधिक के मीटरयुक्त स्थायी कृषि उपभोक्ताओं को उर्जा विभाग के आदेश क्रमांक 6793/एफ 5-15/2011/तेरह, दिनांक 01.09.2018 अनुसार यथावत सब्सिडी जारी रहेगी।

की रियायत देते हुए निर्धारित दर से अंतर की राशि का भुगतान राज्य शासन द्वारा वितरण कंपनी को अतिरिक्त सब्सिडी के रूप में किया जाये।

(6) 10 हार्सपावर से अधिक के स्थाई कृषि पंप कनेक्शनों से वर्तमान में ली जा रही प्रति हार्सपावर प्रतिवर्ष की दर यथावत रहेगी।

(7) अनुसूचित जाति एवं जनजाति के 1 हेक्टेयर तक की भूमि वाले एवं 5 हार्सपावर तक के कृषि उपभोक्ताओं को निःशुल्क विद्युत प्रदाय जारी रहेगा।

(8) कंडिका (3) से (7) के परिपालन में सब्सिडी की उपरोक्त व्यवस्था माह अप्रैल, 2019 के लिए एवं तदुपरांत जारी होने वाले देयकों के लिये लागू रहेगी।

(9) उक्त योजनांतर्गत जारी किए जाने वाले बिलों में शासन द्वारा प्रदत्त सब्सिडी का स्पष्ट उल्लेख किया जावे।

2/ निर्देशानुसार, राज्य शासन के उपरोक्त निर्णय का क्रियान्वयन सुनिश्चित करने हेतु अनुरोध है।

संलग्न - उपरोक्तानुसार।

(पी.के.चतुर्वेदी)
विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी
म.प्र.शासन, ऊर्जा विभाग

पृष्ठांकन क्रमांक - 1169 /एफ-3-08/2019/तेरह भोपाल, दिनांक 13/02/

प्रतिलिपि :-

1. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
3. आयुक्त, जनसंपर्क संचालनालय, बाणगंगा भोपाल।
4. संचालक (बजट), म.प्र. शासन, मंत्रालय भोपाल- राज्य शासन द्वारा दिनांक 7 फरवरी 2019 को लिये गये उपरोक्त निर्णय अनुसार योजना हेतु आवश्यक बजट प्रावधान किये जाने हेतु निर्देशानुसार अनुरोध है।

विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी
म.प्र.शासन, ऊर्जा विभाग